न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

अपील सं0 2018/00214 (102/2018)

महंगासिंह पुत्र हरनाम सिंह जाति बावरी निवासी 8 एम.के.एस. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। – अपीलान्ट

बनाम

त्हसीलदार (राजस्व) टिब्बी। –– रेस्पोडैन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्व आदेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, टिब्बी, दिनांक 03.04.2018
प्रकरण संख्या 17/2018 बअनवानी महंगासिह बनाम तहसीलदार

श्री राजेश दीपराय, अधिवक्ता अपीलाण्ट।
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

निर्णय दिनांक – 22.02.21

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 काश्तकारी अधिनिय में प्रस्तुत कियां। प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि चक 8 एम.के.एस. में 26 बीघा भूमि पुनर्वास विभाग द्वारा आवंटित की गई थी जिस पर प्रार्थी का पुराना कब्जा चला आ रहा है। इसके खातेदारी व नियमन की कार्यवाही विचाराधीन [illegible] कृषि भूमि के पेटे राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक राशि जमा करवाने [illegible] तैयार है। तहसीलदार टिब्बी द्वारा प्रार्थी की काश्तशुदा फसल के समय प्रार्थी [illegible] फसल को नीलाम [illegible] के आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 14:01:14 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रदान किये हैं जबकि तहसीलदार को फसल नीलाम करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी ने खातेदारी/नियमन की पत्रावली का हस्तान्तरण जब तक नहीं हो जाता तब तक अप्रार्थी तहसीलदार को प्रश्गनत कृषि नीलाम करने से निषेध करने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनने के कारण प्रार्थना–पत्र को खारिज किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रश्नगत भूमि पर अपीलाण्ट की फसल काश्त है। रेस्पोडेंट अपीलाण्ट की फसल को नीलाम करने को कटिबद्ध है अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट से इस संबंध में कोई जवाबदेही लिए बिना आक्षेपित आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आक्षेपित आदेश में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में न होने की विवेचना करते हुए स्थगन प्रार्थना–पत्र खजिर करने के आदेश दिये हैं लेकिन प्रथम दृष्टया मामला किसी प्रकार से नहीं बनता है इस संबंध में कोई विवेचना नहीं किया तथ न ही सुविधा का संतुलन व अपरिमेय क्षति के बिन्दू के संबंध में कोई विवेचना नहीं की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायाल का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

3. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

4. पत्रावली का अवलोकन किया एवम् विद्वान वकुलाय की बहस पर मनन किया।

5. अपीलाण्ट ने चक 8 एम.के.एस. में 26 बीघा भूमि पुनर्वास विभाग द्वारा आवंटित की गई थी जिस पर प्रार्थी का पुराना कब्जा चला आ रहा है। इसके खातेदारी व नियमन की कार्यवाही विचाराधीन है। [Signature Not Verified] राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक राशि जमा करवाने [illegible] टिब्बी द्वारा प्रार्थी की काश्तशुदा फसल के समय [illegible] करने के आदेश प्रदान किये हैं। जिससे बचाव हेतु अधीनस्थ न्यायालय में अपीलण्ट ने स्थगन प्रार्थना–पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 14:01:14 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रस्तुत किया है। इस न्यायालय के मतानुसार अपीलाण्ट का कब्जा साधिकार नहीं है तथा खातेदारी/नियमन की कार्यवाही विचाराधीन होने के प्रश्नगत भूमि पर किसी प्रकार के अधिकार सृजित नहीं हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.04.2018 यथावत रखा जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 22.2.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

22/2/21

(करतारसिंह पूनीयॉ)
आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 14:01:14 IST
Reason: SelfAttested